20,837 24-3-15

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिला–मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

4– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सं0:प0क0 / 10–जे0डी0 /247/ 2015 / लखनऊः दिनांक 20 मार्च 2015

विषयः– प्रदेश में गुणवत्तापरक परिवार नियोजन सेवायें प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि गुणवत्तापरक परिवार नियोजन सेवायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नसबन्दी शिविरों के आयोजन के साथ–साथ कार्यक्रम की गुणवत्ता से सम्बन्धित कई मैनुअल व दिशा–निर्देश विकसित किये गये हैं, जिन्हें समय–समय पर राज्य स्तर से जनपदों को उपलब्ध कराया जाता रहा है, परन्तु फिर भी नसबन्दी शिविरों से सम्बन्धित मानकों के साथ–साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम की गुणवत्ता से सम्बन्धित अन्य मानकों के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिनका संज्ञान लेकर आपको निर्देशित किया जाता है कि:–

- भारत सरकार द्वारा विकसित किये गये मानकों / दिशा–निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किया जाये।
- कार्यक्रम अधिकारियों / नोडल अधिकारियों के साथ–साथ सेवाप्रदाताओं का परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित मैनुअलों पर पुनः अभिमुखीकरण करना सुनिश्चित करें।
- सेवाप्रदाता चिकित्सकों / सर्जनों को मैनुअल में वर्णित योग्यता के अनुसार इम्पैनलमैण्ट किया जाये व उसे समय–समय पर अधुनान्त भी किया जाये।
- संक्रमण की रोकथाम हेतु मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- नसबन्दी के पूर्व समस्त लाभार्थियों की काउन्सिलिंग व स्क्रीनिंग अवश्य की जाये तथा मानकों के अनुसार अर्ह पाये जाने पर ही नसबन्दी आपरेशन किया जाये।
- नसबन्दी शिविरों का आयोजन उन्हीं सेवाकेन्द्रों पर किया जाये, जिन पर क्रियाशील ओ0टी0 की उपलब्धता के साथ–साथ नसबन्दी आपरेशनों तथा शिविर आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित दिशा–निर्देशों व मानकों का शत्–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता हो।
- मण्डलीय अपर निदेशकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्वयं नसबन्दी शिविरों का अनुश्रवण व मूल्यांकन सुनिश्चित करते हुए कमियों का संज्ञान लेकर अपने स्तर पर उनका निराकरण कर एक सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- परिवार नियोजन आईडेमिनिटी योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्यारेन्स समिति व जनपद स्तरीय परिवार नियोजन आईडेमिनिटी उपसमिति की बैठकें नियमित रूप से सम्पन्न करायी जाये।

GM(FP)

24/3/15
(वेद प्रकाश)
अपर मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- जिला क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी में से कम से कम 02 सदस्यों का गुणवत्ता के परीक्षण हेतु नियुक्त किया जाये तथा माह कम से कम 01 फिक्सड डे स्टैटिक व 01 एक्रिडिटेटेड सेवा केन्द्र पर गुणवत्ता के समबन्ध में परीक्षण अवश्य किया जाये।
- शिविरों के आयोजन हेतु एक प्रभावी योजना विकसित कर शिविरों का सम्पादन इस प्रकार से किया जाये कि लाभार्थियों को मानकों के अनुसार प्रि–आपरेटिव सेवायें यथा आपरेशन पूर्व समस्त स्वास्थ्य परीक्षण/जाँचें, मेडिकल हिस्ट्री से सम्बन्धित पृथक चेकलिस्ट व कान्सेन्ट प्रपत्र को आवश्यक रूप से भरे जाने के साथ–साथ पोस्ट आपरेटिव सेवायें यथा आपरेशन के उपरान्त लाभार्थी को घर तक पहुँचाने की व्यवस्था, आपरेशन उपरान्त लाभार्थी का ए0एन0एम0/आशा के माध्यम से फालोअप आदि प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों के जलपान एवं उनके परिजनों की अन्य आवश्यक आवश्यकतायें यथा शौचालय, बैठने का स्थान, पीने के पानी की व्यवस्था आदि भी सुनिश्चित किया जाये। यह भी ध्यान में रखा जाये कि सेवाकेन्द्र पर नसबन्दी आपरेशन में प्रयोग की जाने वाली समस्त औषधियों/उपकरणों के साथ–साथ आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों आदि की भी उपलब्धता प्रत्येक दशा में रहे।
- लाभार्थियों को आपरेशन के पश्चात् कम से कम 04 घण्टे के बाद चिकित्सक की सलाह पर ही डिस्चार्ज किया जाये।
- लाभार्थियों को डिस्चार्ज करते समय आपरेशन उपरान्त बरती जाने वाली सावधानियों के साथ उन्हें फालोअप के लिए चिकित्सालय आने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये जायें।
- नसबन्दी उपरान्त मृत्यु के समस्त मामलों में मृत्यु के कारणों का ऑडिट किया जाये।
- साथ ही साथ इस बात ध्यान रखा जाये कि नसबन्दी विधि, परिवार नियोजन हेतु उपलब्ध गर्भनिरोधकों के बास्केट ऑफ च्वाईस में से एक है, अतः प्रत्येक दम्पत्ति/लाभार्थी को उसकी इच्छानुसार गर्भनिरोधक की विधि चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0:प0क0/10–जे0डी0/247/2015/3419-2 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011

(2) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, उ0प्र0।

(मीनू सागर)
निदेशक (परिवार कल्याण)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ